



राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687
वेबसाईट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

भीम

क्रमांक : प.5(311)निपेवि/नियम/1168 - H

दिनांक - 25/10/2021

समस्त विभागाध्यक्ष,

विषय:- पेंशन प्रकरणों के साथ सेवापुस्तिका भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 12(3)एफडी/रूल्स/2021 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा पेंशन प्रकरणों के साथ सेवापुस्तिकाएं संलग्न नहीं करने संबंधी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के विभिन्न नियमों में संशोधन किया है।

अतः भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के साथ सेवापुस्तिकाएं नहीं भिजवाने के निर्देश अधीनस्थ कार्यालयों को जारी कराने का श्रम करें। परन्तु पूर्व में प्राप्त प्रकरण जिन पर इस विभाग द्वारा आक्षेप/कमियों की पूर्ति हेतु लौटाया गया है, उन प्रकरणों के साथ सेवापुस्तिकाएं संलग्न कर भिजवाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय

(संजय सोलंकी) 21/10/21,

निदेशक

दिनांक

क्रमांक : प.5(311)निपेवि/ नियम/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालय.....
2. आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालय हाजा।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा
4. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक पीआर.....
5. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। पीआर.....

निदेशक